

राजस्थान सरकार  
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:राम/भू.अ./NLRMP/ F-107/bid.doc/ 1118

दिनांक:- 13-06-18

जिला कलक्टर,  
धौलपुर।

विषय :- मॉडर्न रिकार्ड रूम कार्य के भुगतान के संबंध में।  
प्रसंग :- आपका पत्रांक 2864 दिनांक 16.05.18

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से आपके द्वारा जिले में मॉडर्न रिकार्ड रूम का कार्य कर रही फर्म IL&FS Ltd, द्वारा तहसील धौलपुर, सैपऊ, राजाखेड़ा में किए गए कार्य के पेटे प्रस्तुत बिलों के भुगतान के संबंध में बिलों में RFP के अतिरिक्त कर की राशि दर्शाये/ जोड़े जाने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

उक्त के क्रम में निवदेन है कि मण्डल स्तर से मॉडर्न रिकार्ड रूम कार्य के बिलों के भुगतान से पूर्व निम्न बिन्दुओं के अनुसार बिलों की जांच की जाती है :-

1. बिल दो मूल प्रतियों में होना सुनिश्चित करावें।
2. बिलों के भुगतान की कार्यवाही संविदा एवं संविदा की शर्तों एवं कार्यादेश के अनुसार ही करवाई जाना सुनिश्चित करावें।
3. जिला स्तर पर गठित कमेटी की भुगतान योग्य राशि की स्पष्ट अनुशंसा संलग्न हो।
4. बिल की दोनों मूल प्रतियाँ संबंधित जिले के OIC DILRMP/ OIC LR द्वारा प्रमाणित हो।
5. जिला कलक्टर द्वारा बिलों पर भुगतान की राशि की स्पष्ट अनुशंसा हो।
6. बिलों के साथ मण्डल के निर्देशानुसार आईटम वाईज़ चैकलिस्ट संलग्न हों।
7. मॉडर्न रिकार्ड रूम कार्य की अनुमोदित दर में सभी कर सम्मिलित हो।
8. भुगतान से पूर्व सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम एवं RTPP Rules 2013 की पालना सुनिश्चित की जावे।
9. बिलों पर स्टॉक एन्ट्री अंकित होना सुनिश्चित करावें।

उपरोक्तानुसार फर्म से प्राप्त बिलों जांच कर स्पष्ट अनुशंसा सहित मण्डल में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय



निबंधक,

राजस्व मण्डल राजस्थान  
अजमेर